



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26816-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 1116/2026

अजीत कुमार दुबे

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता: वीरेंद्र कुमार यादव

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: जी.ए., कृष्ण कुमार वर्मा, मो. अमान खान, वर्तिका अमान

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.), प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता मो. अमान खान को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. शुरुआत में ही, प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता मो. अमान खान ने इंगित किया है कि वर्तमान मामले में विवेचना पहले ही पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है।
3. इसके विपरीत, याची के विद्वान अधिवक्ता उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके, परंतु उन्होंने निवेदन किया कि वे इस रिट याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहते और उचित स्तर पर उचित मंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता को उपर्युक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
5. उपरोक्त के आलोक में, यह रिट याचिका उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

वी.के.जी.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"